

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

**:: आदेश ::**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी करेड़ा व भू अभिलेख निरीक्षक करेड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2023-24 में खाता संख्या १३५ में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

| क्रम संख्या | ग्राम  | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)   | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|-------------|--------|-------------|------------------------------|--|
| 1           | 2      | 3           | 4                            | 5  |
| 1           | करेड़ा | २३५         | श्री 01 कपूर कुंजी मकान सिंह | कि 301 उपर सीतेश कुंजी कुंजी मकान सिंह                       |

उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

दिनांक:- 11/11/21

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 48

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

प्रभात अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा